**बिहार सकरार**
**योजना एवं विकास विभाग**
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

पत्रांक-स्था०2/04-03/2012 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

रेनु लता,
निदेशक

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

**विषयः- लेखा मिलान कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5446 दिनांक 27.08.99 एवं पत्रांक-4105 दिनांक 13.05.14 द्वारा सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को लेखा का मिलान किस तरह करायी जाय का मार्गदशन दिया जा चूका है। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र के द्वारा सभी कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जा चूका है कि प्रत्येक माह में की गई निकासी का मासिक व्यय विवरणी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय, तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी सत्यता को जाँच कर अभिप्रमाणित/हस्ताक्षरित कर नियंत्रित पदाधिकारी को प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक विवरणी भेजना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि प्रत्येक माह में कोषागार पदाधिकारी से व्यय विवरणी प्राप्त करते हुए रोकड़पंजी से मिलान कर इसकी सत्यापित प्रति के साथ महालेखाकार कार्यालय में लेखा का सत्यापन एवं समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात इसकी सत्यापित प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- 987 पटना, दिनांक 14.7.14

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार कार्यालय (ले० एवं हक), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना
2. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

निदेशक

Raju/Est-2/Binod/06